भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2205

(जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

2205. **श्री हनुमान बेनीवालः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अब तक के लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है और क्या यह सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप है;

(ख) क्या सरकार के संज्ञान में योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अनियमितता या भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें आई हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन शिकायतों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं तक योजना का लाभ किस प्रकार पहुंचाया जा रहा है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना का लाभ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तक पहुंचाने के लिए कोई विशेष तंत्र स्थापित किया है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) दिनांक 31.10.2024 तक की स्थिति के अनुसार महिला सम्मान बचत पत्र योजना स्कीम के तहत महिला लाभार्थियों की कुल संख्या 43,30,121 हैं। सरकार ने इस स्कीम के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) सरकार द्वारा यह स्कीम ब्याज के आकर्षक दरों द्वारा देश के महिलाओं के वित्तीय स्वावलंबन को प्रोत्साहन देने और साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद देने के लिए भी शुरू की गई थी।

(ङ) यह स्कीम डाक विभाग और बैंकों के माध्यम से संचालित की जाने वाली एक स्वैच्छिक बचत स्कीम है जिसमें जमाकर्ताओं को उच्चतर ब्याज दर दिया जाता है।

*****